कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 5( )2024 / कार्मिक / प्रमुवसं–01993 / 8262-8372 दिनांक : 21/3/24

निमित्त,

समस्त वनाधिकारीगण।

विषय :– सेवारत कार्मिकों की सेवापुस्तिका का अवलोकन करवाने एवं सेवा पुस्तिकाएं अद्यतन (up to date) करवाने के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रत्येक राजकीय कर्मचारी की राजकीय सेवा में कार्यग्रहण दिनांक से ही उसकी सेवा पुस्तिका का संधारण किया जा कर उसके सेवाकाल की समस्त महत्वपूर्ण घटनाओं यथा स्थानान्तरण, पदौन्नति, वेतन निर्धारण, स्थायीकरण, चयनित वेतनमान, सेवा सत्यापन, अवकाश लेखा आदि की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में किया जाना अनिवार्य है। सेवा पुस्तिका संधारण से संबंधित नियम राजस्थान सेवा नियम 1951, भाग 1 के नियम 160 से 164 में तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के पार्ट 2 के नियम 134 से 139 तक दिये गये है।

RSR Rule 161 (v) में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक कार्मिक को वर्ष में एक बार उसकी सेवा पुस्तिका का अवलोकन करवाकर उसके हस्ताक्षर सेवा पुस्तिका के निर्धारित कॉलम में प्राप्त किये जाने अनिवार्य हैं परंतु प्रायः उक्त नियमों की पालना नहीं की जा रही है। जिसके कारण कतिपय या तो महत्वपूर्ण घटनाओं की प्रविष्टियां सेवा पुस्तिका में अंकित नहीं हो पाती हैं / घटनाओं का त्रुटिपूर्ण अंकन हो जाता है। जिससे कार्मिक को समय–समय पर मिलने वाले परिलाभ यथा एसीपी, पदौन्नति आदि में अनावश्यक विलम्ब होता है।

वित्त विभाग द्वारा जारी नवीन निर्देशों के अनुसार प्रत्येक कार्मिक को सेवानिवृति के दिन ही उसे समस्त लाभ परिलाभ दिया जाना अनिवार्य है। जिसके लिए कार्यालयाध्यक्ष ही उत्तरदायी है। उक्त तथ्यों के मध्यनजर यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कार्मिकों की सेवा पुस्ताकाएं कार्यालयाध्यक्षों द्वारा साफ–सुथरे रूप से संधारित हो तथा प्रत्येक समय अद्यतन (up to date) रहे।

उक्त संदर्भ में समस्त कार्यालयाध्यक्षों को आदेशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ समस्त कार्मिकों की सेवा पुस्तिकाओं को अद्यतन (up to date) करे तथा दिनांक 15.04.2024 तक समस्त कार्मिकों को सेवा पुस्तिकाओं का अवलोकन करवाकर सेवा पुस्तिका के निर्धारित कॉलम में कार्मिक के दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त करें। यदि कोई कार्मिक डुप्लीकेट सर्विस बुक चाहता है तो नियमानुसार प्रदान करें। कार्मिक की सेवापुस्तिका में किसी भी प्रकार की कमी है तो कार्मिक से लिखित प्रार्थना–पत्र प्राप्त कर उस पर तुरन्त कार्यवाही करें तथा निर्धारित प्रारूप में सूचना दिनांक 20.04.2024 तक भिजवायें।

(मुनीश कुमार गर्ग)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 5( )2024 / कार्मिक / प्रमुवसं–01993 / / 8373 दिनांक : 21/03/2024

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक एवं सूचना प्रौद्योगिकी कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।

(बृज मोहन गुप्ता)
उप वन संरक्षक (अराजपत्रित)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Munish Kumar Garg
Designation : Principal Chief Conservator Of Forest
Date: 2024.03.20 1?:55:29 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref

कार्यालय का पता- कमरा नं. ए-401 अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004
फोन नं. 0141-2713808 Email id dcfnz.estt.forest@rajasthan.gov.in
वेब साईट www.forest.rajasthan.gov.in

कार्यालय उप वन संरक्षक / भू–संरक्षण अधिकारी / ....

क्रमांक :

दिनांक :

प्रमाण –पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे कार्यालय में पदस्थापित समस्त कार्मिकों की सेवा पुस्तिका अद्यतन (up to date) करके संबंधित कार्मिकों को अवलोकन कराकर उनके हस्ताक्षर सेवा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर प्राप्त कर लिये गये है।

हस्ताक्षर

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक ....

क्रमांक :

दिनांक :

प्रमाण –पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा तथा मेरे अधीनस्थ समस्त कार्यालयाध्यक्षों द्वारा समस्त अधीनस्थ कार्मिकों की सेवा पुस्तिका अद्यतन (up to date) करवाकर संबंधित कार्मिकों को अवलोकन कराकर उनके हस्ताक्षर सेवा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर प्राप्त कर लिये गये है।

हस्ताक्षर

Signature valid

Digitally signed by Munish Kumar Garg
Designation : Principal Chief Conservator Of Forest
Date: 2024.03.20 1?:55:29 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref

कार्यालय का पता- कमरा नं. ए-401 अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004
फोन नं. 0141-2713808 Email id dcfnz.estt.forest@rajasthan.gov.in
वेब साईट www.forest.rajasthan.gov.in